

मेसर्स ए.आर. इस्पात, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट नं. 232 एवं 234ए, कुल एरिया-6.20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-1,80,000 टन/वर्ष (Upgradation of existing 2x07 Ton to 02x12 Ton and establishing new 03x12 Ton) एवं रोलिंग मिल क्षमता-1,70,000 टन/वर्ष (01x500 TPD) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05 दिसम्बर 2020 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स ए.आर. इस्पात, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लाट नं. 232 एवं 234ए, कुल एरिया-6.20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-1,80,000 टन/वर्ष (Upgradation of existing 2x07 Ton to 02x12 Ton and establishing new 03x12 Ton) एवं रोलिंग मिल क्षमता-1,70,000 टन/वर्ष (01x500 TPD) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को समय-11:00 बजे, स्थल-बंजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्कैनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम कंपनी के प्रतिनिधि श्री अखिलेश मिश्रा ने उद्बोधन करते हुये कहा, मैं अखिलेश मिश्रा ए.आर. इस्पात की ओर से माननीय एडीशनल कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा जी, एस.डी.एम. रायगढ़ श्री ए.के. मार्बल जी, क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री अजय गेडाम जी, सी.एस.पी. महोदय श्री अभिषेक वर्मा जी एवं उपस्थित अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा प्लाट क्रमांक 232, सेक्टर-बी, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में इण्डक्शन फर्नेस इकाई 30,000 टन प्रतिवर्ष का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मती नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.05.2021 तक है। वर्तमान प्रस्ताव में कंपनी द्वारा विद्यमान 2 गुणा 7 टन इण्डक्शन

फर्नेस का 2 गुणा 12 टन में उन्नयन तथा नवीन 3 गुणा 12 टन इण्डक्शन फर्नेस एवं नवीन 1 गुणा 500 रोलिंग मिल टन प्रतिवर्ष की स्थापना विद्यमान परिसर में ही करना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग के पास 6.25 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है तथा इसी भूमि पर ही क्षमता विस्तार प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नहीं की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित इण्डक्शन फर्नेस में स्थापित बैग फिल्टर का उन्नयन प्रस्तावित है तथा नई इण्डक्शन फर्नेस इकाई में नये बैग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल को कोल गैसिफायर से संचालित किया जाना तथा उसमें स्क्रबर की स्थापना प्रस्तावित है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम/घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु वर्तमान में संचालित इकाई हेतु लगभग 35 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जिसकी आपूर्ति भू-जल स्रोत द्वारा की जाती है तथा जल आहरण हेतु केन्द्रीय भू-जल मण्डल द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित संयंत्रों के संचालन हेतु 170 घन मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी, जिसे भी भू-जल स्रोत द्वारा आहरण किया जावेगा। क्षमता विस्तार की अतिरिक्त जल निकासी हेतु केन्द्रीय भू-जल मण्डल द्वारा अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा जहां से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनःचक्रित किया जाना प्रस्तावित है। स्क्रबर ब्लोडाउन को भी पुनःचक्रित किया जावेगा। दूषित जल में आईल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के साथ मिलने की दशा में इसके उपचार हेतु आईल एवं ग्रीस ट्रेप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा धरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 12 कि.मी./प्रतिदिन होगी एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुनःउपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के बाद शून्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आस-पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। परिसर में लगभग 2.3 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। आगामी मानसून में विकसित वृक्षारोपण को और सघन किया जावेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस-पास के लोगो को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

तदोपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार,

आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 650-700 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 90 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. पुसउ राम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
2. घुरउ राम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
3. चन्द्रमणी साहू, छर्राटांगर –
4. बाबा , तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
5. आनंदराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
6. दीपिका चौहान, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ
7. डोलामति, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ
8. कमलाबाई, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
9. रंजना यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
10. कुवंरमति, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
11. शनिराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
12. संतोष राम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
13. अम्बाराव, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
14. सतीष यादव, गोपालपुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ
15. राजु, कल्याणपुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
16. मीरा यादव, समारूमा – नमस्कार ।
17. उति शर्मा, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
18. बसंती चौहान, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
19. शशि चौहान, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
20. जमुना चौहान, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
21. रूकमणी, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
22. राधे तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

23. समारू, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
24. अजय, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
25. राजु, दयापुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
26. कन्हैया राय, बस्तर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
27. नर्मदा, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
28. सीमा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
29. प्रियंका, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
30. सविता, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
31. रूखनी, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
32. सुनील यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
33. रजीत कुमार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
34. सोनु सिंह, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
35. कृष्णकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
36. गंगाराम, कापू – मै सेलेनो में काम करता हूँ।
37. पूजा, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
38. कुमारी पटेल, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
39. कांति, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
40. सविता, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
41. कुंती, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
42. प्रियंक कुमार, सोनपारा –
43. रामकुमार, सोनाजोरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
44. गणेश भगत, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
45. श्रवण यादव, लाखा, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
46. सुमंति केरकेट्टा, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
47. अनिमा, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
48. सविता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
49. पदमा, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
50. प्रमिला कुर्रे, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
51. कार्तिकराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
52. रतिराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
53. निरज कुमार, बिहार, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
54. अमरजीत, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
55. इन्द्रसेन सिंह, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

56. फिरतराम, धमतरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
57. धनन्जय यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
58. रामबाई, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
59. हेमकुमारी यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
60. रूपाली, टिहाउडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
61. लक्ष्मीबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
62. वृन्दावति सोनी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
63. सोहद्रा , पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
64. मीनायादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
65. सरसवति यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
66. हेमलात यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
67. दुधनारायण पंकज, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
68. सचिदानन्द, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
69. गुड्डु, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
70. पिन्टु, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
71. सलिया, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
72. छोटेयादव, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
73. मीरा , तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
74. पवन कुमार, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
75. रामबाई, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
76. जयंती, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
77. लक्ष्मीन, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
78. चम्पाबाई पैकरा, लैलुंगा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। यहां काम करती हूं।
79. अशोक कुमार, गया – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
80. रामसिंह यादव, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
81. रंजन कुमार, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
82. अनिल पासवान, ओरंगाबाद – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
83. सुखसागर, झारखण्ड – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
84. सोहद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
85. नेहा भगत, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
86. माधुरी, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
87. तेजकुमारी चौहान, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
88. मीरा चौहान, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

89. अमित लकड़ा, लारीपानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
90. प्रकाश कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
91. पंकज कुमार, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
92. अजय, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
93. एश तिर्की – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
94. नीरज रामटेके, कानपुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
95. पुष्पा महंत, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
96. शोभा, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
97. बबीता, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
98. राधिका, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
99. घुरई, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
100. लकेश्वर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
101. विनोद दास, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
102. प्रेमकुमार, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
103. नरसिंह, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
104. अशोक कुमार, बिहार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
105. मंजु, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
106. रविता, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
107. निर्मला, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
108. ननकी नोनी, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
109. कलावति, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
110. राजु यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
111. दिनेश टोप्पो, घरघोड़ा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
112. पुनीराम साहू – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
113. बबलु कुमार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
114. मदन, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
115. उर्मिला, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
116. राजकुमारी सिदार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
117. ज्योति उरांव, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
118. मोंगरा यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
119. पदमा, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
120. पवन, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
121. अजय कुमार, बलागिर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

122. निरमलकर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
123. दिनेश कुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
124. त्रिभुवन यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
125. मनियारों, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
126. रतनि, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
127. सोनवानी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
128. सोनाबाई, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
129. दिव्या यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
130. रोजक कुमार, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
131. तिहारू, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
132. रंजीत कुमार, खरसिया – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
133. तिलक राज, गोड़म – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
134. कृष्णा, सारंगढ – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
135. जयमनि, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
136. कमला, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
137. सरन, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
138. वन्दा भगत, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
139. पूजा कुजुर, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
140. मनिलाल, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
141. तुमासेठी, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
142. दानसिंह राठिया, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
143. विश्वनाथ, जोबी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
144. गुलाब सिदार, तमनार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
145. ललिता देवी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
146. दुधमेत, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
147. संतोषी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
148. सुशीला, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
149. भक्तिना, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
150. रविन्दर, सराईटोला – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
151. गोलु यादव, हरियाणा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
152. अजितराम, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
153. बलेश्वर महंत, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
154. गौरीशंकर यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

155. संतोषी यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
156. मीना बाई यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
157. पार्वती, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
158. प्रभा यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
159. सुकान्ति यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
160. सुभाष कुमार, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
161. अमोश एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
162. मिलाप मालाकार, बड़े नावापारा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
163. अखिलेश यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
164. मासिक राम, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
165. प्रियंका तिर्की, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
166. कुमारी बाई, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
167. मधु यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
168. सुशमिता यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
169. रत्ना यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
170. द्वारिका, उज्जवलपुर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
171. ऋषिकिशन तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
172. खेमराज, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
173. दीपक, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
174. जितेन यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
175. वंदना चौहान, सराईपाली – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
176. रीता चौहान, सराईपाली – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
177. संजना चौहान, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
178. रश्मि चौहान – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
179. माधुरी, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
180. पदमलोचन यादव, बंगुरसिया – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
181. रमेश कुमार सोनी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
182. बलराज दास, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
183. विकास कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
184. मदन कुमार, उज्जवलपुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
185. सुजाता तिर्की, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
186. लक्ष्मीन यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
187. चन्द्रकाति यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

188. अम्बिका यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
189. रति यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
190. जगदीप राम, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
191. दीपक भरतेन्द्र, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
192. संजय गुप्ता – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
193. संतकुमार सिदार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
194. बोधोराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
195. इतवारीलाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
196. निलिमा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
197. फरिस्ता केरकेट्टा, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
198. बई, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
199. सुकबाई चौहान, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
200. सुन्दरी, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
201. धरमवीर, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
202. मुन्ना भारद्वाज, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
203. देवकुमार चौहान, शिवपुरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
204. देवलाल, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
205. अरविन्द तिकी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
206. सुनिता यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
207. आरती यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
208. पुष्पा यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
209. सुमति चौहान, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
210. यशोदा खाखा, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
211. करन कुमार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
212. पजमा यादव, गेरवानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
213. बोनी, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
214. नरसिसंह, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
215. गणेश कुमार, गेरवानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
216. सुनीता यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
217. सुमित्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
218. सनकुवंर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
219. सुशमा खलखो, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
220. सुनीता एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

221. सुधीर झा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। हमारे गांव वालो को नौकरी दिजिए।
222. अनिल यादव, पूंजीपथरा – नर्मदा स्टील का समर्थन हैं
223. दीपक यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
224. सुरेन्द्रदास महंत, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
225. अनिल कुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
226. सावित्री सोनी, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
227. सुनीता खलखो, आमाघाट– मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
228. अंजु, समारूमा आमाघाट– मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
229. ममता सिंह, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
230. प्रिया यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
231. मोहनराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
232. जानीसाहू, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
233. मेहत्तर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
234. रतन, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
235. करन सिंह बंजारा, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
236. मालिनी देवांगन, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
237. छत्तरमति, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
238. सविता यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
239. सुमित्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
240. देलीबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
241. गुलाब यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
242. रामकुमार, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
243. भीमसेन, गोरखपुर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
244. छोटेलाय यादव – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
245. रामनाथ, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
246. चम्पा वैष्णव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
247. संजु एक्का, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
248. रश्मि यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
249. लक्ष्मी मांझी, पूंजीपथरा– मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
250. भानुमति, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
251. रामकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
252. संतोष आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
253. संतोष बिसी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

254. रवि कुमार, — नर्मदा को समर्थन ।
255. भुषण साहू — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
256. संगीता, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
257. चमरी राठिया, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
258. पुष्पाबाई, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
259. ज्ञानीबाई, तराईमाल — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
260. सुरेन्द्र यादव, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
261. संजय, गेरवानी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
262. अनिल भगत, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
263. सानु यादव — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
264. रानु, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
265. जानकी यादव, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
266. कमला राठिया, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
267. सावित्री चौहान, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
268. गुलापी राठिया, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
269. मंगली, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
270. मंगल, तराईमाल — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
271. अनिल कुमार, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
272. नवीन — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
273. शनिराम धनवार, तराईमाल — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
274. बनगहिया, — मं बजारी का जोदशन करने आ रहे है वो काला हो जा रहे है। डस्ट को साफ करें।
275. सीमा, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
276. रतनीबाई, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
277. रामकुवंर, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
278. सुरति, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
279. कुमारी सिदार, पड़कीपहरी — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
280. अनमोल मिर्की, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
281. हबुल कुजुर, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
282. माही राठिया, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
283. भुषण, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
284. भुपेन्द्र राठिया, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
285. रामप्रवेश, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
286. सुशीला खलखो, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

287. ज्योति सोनी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
288. आशा मिंज, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
289. उषा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
290. प्रतिमा तिकी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
291. रविकांत, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
292. रूपेन्द्र, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
293. मुक्ता, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
294. खिलेश्वर, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
295. उत्तम, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
296. छमका, आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
297. गीता यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
298. आशमति, आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
299. मीना, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
300. सेतबति, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
301. बुलसराम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
302. सुखराम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
303. चन्द्रभानु चौहान, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
304. जीवन तिग्गा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
305. अमर सिंह, छर्राटांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
306. सविता चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
307. लता तिकी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
308. सुभद्रा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
309. रामवति, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
310. चन्द्रमति, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
311. भगत, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
312. मनिराम राठिया, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
313. घनश्याम राठिया, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
314. कैलाश यादव, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
315. कृष्णकुमार यादव – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
316. गणेश दीवाकर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
317. मालती राठिया, आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
318. सुमित्रा राठिया – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
319. कुवंरमति, आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

320. नीलम श्रीवास, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
321. बई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
322. बलराम चौहान, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
323. सोनु कुमार सोनी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
324. पवन – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
325. सुरेश कुमार, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
326. करिया राम, सराईपाली – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
327. आशमति यादव, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
328. गीता लकड़ा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
329. यशोदा चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
330. फुलवंती, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
331. मन्त चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
332. नीराकार यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
333. लालाराम यादव, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
334. पंचराम, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
335. जगदीश प्रसाद, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
336. खगेश, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
337. संगीता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
338. सेवाबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
339. गायत्री, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
340. मीरा, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
341. सविता रथ, जन चेतना मंच, रायगढ़ – मेसर्स ए.आर. इस्पात की आयोजित जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोरोना काल में जन सुनवाई में जो अफरा-तफरी हो रही है और जिस तरीके से लोगो को हड़का रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। महिला समूहों को कांजीहाउस में जैसे लाया जाता है, वैसे लाया जा रहा है। ये तीसरा जन सुनवाई है कोरोना काल में यहां मासूम बच्चों को लाया जा रहा है। इस क्षेत्र में जन सुनवाई का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है यहां के लोगो को लग रहा है कि यहां वोटिंग हो रही है। यह जन सुनवाई यहां के लोगो के जीवन पर सीधा खिलवाड़ है, क्यों न इसे यहां के हालात ठीक होने पर किया जाये। वन प्यवर्ण के आदेश के 45 दिवस के बाद यह जन सुनवाई कराई जा रही है इसे निरस्त किया जाये। यहां के महिलाओं, बच्चों बुजुर्ग हैं, जो प्रदूषण झेल रहे, ये बेहद खतरनाक है। ऐसे जन सुनवाई आयोजित कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रतारण करने का अधिकार नहीं। स्कूल क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि एक वैश्विक महारी से जुझ रहे हैं। यहां कोई ग्राम सभा भी सरकार नहीं कराई गई है। मार्च के माद आज तक एक बार भी ग्राम सभा नहीं हुई है। यह क्षेत्र अनुसूचि 05 में आता है यह एक पेश एक्ट है यहा ग्राम सभा की राय लिये बीना जन सुनवाई कराया जा रहा है। ग्राम सभा कोरोना के वजस से नहीं

कराया जा रहा है तो बड़ी जन समुदाय में जनसुनवाई क्यों। इस ई.आई.ए. में एस.ई.ए. रिपोर्ट नहीं लगा है जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा अर्थिक, समाजिक के बारे में नहीं है। यह मेसर्स ए.आर. इस्पात की ई.आई.ए. एक समरी है। इस ई.आई.ए. के बारे में आप लोगो ने कितने लोगो को बताया प्रचार-प्रसार किये उसके लाभ-हानी, स्वास्थ्य, पूर्ववसन के बारे में बताया गया है। महिला समूहो से पूछा गया आप से पढ़े है, तब तो इसके पक्ष में बात रखेंगे। ये वोटिंग नहीं है पर्यावरणीय जन सुनवाई। इसका समाजिक आकंन बनाया नहीं गया है। इन्हे ग्राम सभा से को अनुमति नहीं मिली है। इन्होंने छिपाया है कि यह क्षेत्र अनुसूनि 05 क्षेत्र है। 10 कि.मी. की परिधी का भी आकंन नहीं किया गया है। इस क्षेत्र का सोशल मैपिंग नहीं किया गया है। इसमें रिशोर्स का मैकिंग होना कि यहा कितने चार, तेन्दु, फारेस्ट जंगल है, पेड पौधे जीव-जन्तु आदि है। समारुमा, अमलीडीह, पड़कपहरी, कसडोल, भैसगड़ी आदि में कितने हाथी है आकंन नहीं किया गया है, यह किस आधार पर जन सुनवाई कराया जा रहा है। 10-20 लाख के फीस के लिये यहां के लोगो के जीवन पर खिलवाड कर रहे है। नदी प्रदूषण नहीं। जंगल प्रदूषण हो रहे है। यहां 08 मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। आपने कितने जगह से डेटा कलेक्ट किया बताईये। औद्योगिक पार्क में 31 इण्डस्ट्रीज लग चुकी है ओर जे.आई.टी. कॉलेज भी है। और आप सब को धरे - धरे विस्तार भी दे रहे। यहां के बच्चो को स्वास्थ्य चेकअप किया गया है। यहां तापमान में वृद्धि होगी लेख है कम है क्या यहां का तापमान। स्क्रबर, फेरो को ट्रक से आर्येंगे। और प्रतिदिन जलायेंगे। तो प्यवरण विभाग बता पायेगे कि आज का तापमान क्या है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में महिला, बच्चों, 3 महिने के बच्चो 3 साल के बच्चो, गर्भवति के स्वास्थ्य के साथ क्या होगा यहां से जाने के बाद। इनका कहना है कि जल की आपूर्ति ये भू-जल से करेंगे। और कहना है कि केन्द्र से अनुमति प्राप्त किया जायेगा। यहां कितने भू-गर्भ से निकाला जा रहा है डेटा मेरे पास है। और सरकार का कहना है कि भू-जल की अनुमति सिर्फ किसान को मिलना है न कि उद्योगो को। यहां कि कृषक दल, किसान, ग्रामीण आदिवासी लोग कहां से पानी की आपूर्ति करेंगे मई-जून में। आपने ग्राम सभा से आपने पुछा क्या। यहां जिने उद्योग चल रहे है दूषित जल के निपपटान के लिये सेटलिंग पाण्ड बनाया जायेग कहते है कहां है सेटलिंग पाण्ड। रोजगार इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई सृजन नहीं है। महिलाओं को इनके द्वारा नौकरी के लिये कहीं कुछ नहीं कहा गया है। यहां के पेड़-पौधो, जल जंगल में डाटावेस तैयार किया गया है। इनको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इनको ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा क्या। इनका कहना है कि भू से जल लेंगे प्रतिदिन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगायेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, जमीन कहां है जो वृक्षारोपण करें। ई.आई.ए. पुरा कॉपीपेस्ट है। आपके द्वारा कहा गया है कि जनसंख्या में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण एवं वन मापदण्डो के अनुरूप है। यहां 60-70 छोटे बड़े उद्योग है। यहां विस्तार किया जाना संभव नहीं है। यहां जितने भी उद्योग है उनका मुल्याकंन होना चाहिए, यहा प्रदूषण का माप होना चाहिये, ठण्ड में उद्योगो को बंद कर देना चाहिए। उद्योगिक डस्ट नदी में बह के जा रहे। यहां बेहद सुन्दर नदी नाले थे । आज अट्टारह नाला था आज वो एक नाली बन के रह गया। केलो डेम किसानो के लिये बनाया गया था, लेकिन आज वह पानी कैंसर कारक है, उसमें 06 किस्म के मछलीया विलुप्त हो गई है। वहां ऑक्सीजन की कमी आ रही है। रात को चोरी से पलाई एश को किसी के खे, बाड़ी, नदी, नाले में डाला जा रहा है। निर्माण कार्य में इंजीनियर, मानव श्रम, महिलायें काम करती है बताईए। ये विस्तार है तो

इनके कंपनी में पहले से कितने रोजगार है बताइए। यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, यहां का मूल रोजगार पशुधन कृषि, जल-जंगल है। यहां के मासूम रोजगार मिलेगा करके पीछे खड़े है। कोरोना टाईम में यहां से ढाई लाख लोगो को धक्केमार के यहां से निकाल दिया गया। जानवरों जैसे एक ट्रक में ठुस के भेज दिया गया। यह ई.आई.ए. एक झुठ, भ्रमक, एव कापीपेस्ट है। अगर इनको विस्तार देंगे तो ई.आई.ए. अनुसार तो फिस इस क्षेत्र में तो जल स्तर बढ़ जाये, सडत्रक बन जायेगी, क्षेत्र का विकास हो जायेगा। येसब भ्रम है। इस क्षेत्र के लोग अब हाथी को हाथी नहीं एक दुश्मन कहते है। यह एक हाक्षर रहवास क्षेत्र है। यह क्षेत्र हाथी गलयारा है। यहां के रहवासी आदिवासी है। यह अनुसूचीत क्षेत्र है। इसे झुठला नहीं सकें। जब एस. आई.ए. नहीं बनाया गया है तो ये ई.आई.ए. स्वतः में निरस्त माना जायेगा। जब आपने ई.आई.ए. में ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गइ, जल-जंगल है, सरकार को छिपाया गया डेटा है। ग्राम सभा में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। सरकार क्यो समुदाये के सब कुछ को उद्योग को सीधे-सीधे दे रही है। यहां कितने लोगो का विकास किया जा रहा, स्वयं का, सामुदाये का, कि अधिकारियों का, यह जन सुनवाई को निरस्त कराया जाये। पुलिस फोर्स बुलाने, जन समुदाये बुलाने, जन सुनवाई करवाने, से पहले ग्राम सभा का अनुमति लिया गया है। यह अपराधक है। कोरोकाल में पक्षी तक पार नहीं मार पा रहा था तो ई.आई.ए. की टीम आइ कहां से और ई.आई.आई. बनाई कैसे बिना ग्राम सभा सें। यह जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग करती हू मै।

342. सुशीला, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
343. मालती चौहान, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
344. पुनई, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
345. सुमनलाल– मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
346. ओलेन्टीना, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
347. राजू राठिया, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
348. रितेश, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
349. तेजराम राठिया, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
350. अशोक सिंघानिया, गेरवानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
351. विपुल, पूंजीपथरा– मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
352. पजहर, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
353. असीमा खलखो, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
354. अनिता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
355. पुष्पा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
356. वृन्दावति लकड़ा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
357. धोबी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
358. गणेश तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
359. पुरन यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

360. गुलाबराम, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। हमारे गांव में फेक्ट्री वाले 02 ट्रेक्टर पानी तो डाल सकते हैं, बच्चे धूल में खेलते हैं। सुबह साम दो ट्रेक्टर पानी दिजीए।
361. द्वारिका राठिया – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
362. अनिता सारथी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ।
363. किरण, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ।
364. ललिता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ।
365. मुस्कान, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करती हूँ।
366. मालति, पूंजीपथरा –
367. हेमशंकर राठिया – विरोध।
368. धनराज, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
369. तुलेश्वर, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
370. सर्वेक्षण, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
371. मनोज, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
372. संध्या, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
373. सुमति चौहान, पड़कपहरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
374. निर्मला, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
375. धनमति, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
376. सेतराम राठिया, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
377. कलेश कुमार, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
378. चमकलाल, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
379. सोनु चौहान, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
380. नेहरू, पड़कीपहरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
381. सुंकाति, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
382. चन्द्रकुवर, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
383. यशोदा सिदार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
384. पार्वती, आमाघाट – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
385. शशि तिग्गा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
386. मंगल सिंह, पूंजीपथरा – महिला लोगो को पहले कराओ। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
387. अखिल कुमार, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। ये जो कंपनी आई है कल के तारीख में नहीं था। किसी का गाय भेस बेचने का करोबार था आर बहुत बड़ा कॉन्ट्रेक्टर है। कोई मजदूर था आज बहुत बड़ा राजनैतिक नेता है। अपने हित के बारे में हमें खुद सोचना है। जो किसी के बहलाने से प्रलोभ में अपना इमान न बेचे। यहां पहले गितनी के 4-6 घर थे आज गगन चुम्बी घर है तो इका कारण

मात्र मात्र उद्योग है। पैसा हराम से नहीं मिलता हम प्रगति की ओर अग्रेसित है। हम जहां सास लेते हैं वहां ये भी सांस लेते हैं। आपको किसी के दबाव में न आये मन अन्तरआत्मा जो बोलता वहीं बोलें।

388. मनीश यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
389. अमित राठिया, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
390. संतोष राम, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
391. बसंतीबाई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
392. टिकेश्वरी सिदार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
393. केकती बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
394. उत्तरा कुमार, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
395. रेशम, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
396. धरमजीत सिंह, गेरवानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
397. राजेश चौहान, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
398. विमला, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
399. माधुरी चौहान, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
400. रामकुमारी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
401. मालती राठिया, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
402. रविन्द्रा राठिया, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
403. कमल कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
404. राजकुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
405. चतुर्थ, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
406. मोहन लाल, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
407. घुटन, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
408. दुर्गेश कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
409. फागुलाल, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
410. शांति, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
411. रेनु, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
412. गीता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
413. प्रेमशीला, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
414. खीरमति – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
415. मनिराम, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
416. घुराउ प्रसाद, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
417. समता प्रसाद, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
418. शिवा, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

419. दयानंद यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
420. अन्नु, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
421. नेहा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
422. मंजु, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
423. हेमलता, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
424. संध्या राठिया, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
425. दीनदयाल, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
426. संतराम मांझी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
427. सुभाषराम, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। हमारे क्षेत्र में औद्योगिक करण से फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। फायदा में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछड़ा क्षेत्र है इस लिये ज्यादातर रोजगार नहीं मिला है, इनको भी छोटा मोटा रोजगार दे। हर कंपनी प्रदूषण कर रही है उन्हें पालुशन लगानी चाहिए।
428. ललित यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
429. परावत, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
430. मंतोषी, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
431. धनई, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
432. करीश्मा, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
433. अंजली, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
434. रागिनी, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
435. देवलाल मांझी, पड़कीपहरी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
436. मुकुन्द, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
437. रामनाथ, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
438. शौकीराम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
439. प्रदेश तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
440. चमरीन, छर्गाटांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
441. विन्द्रा, छर्गाटांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
442. कमला, छर्गाटांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
443. संतोष कुमार, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
444. रघुवीर पण्डा, तुमीडीह – यह मंदीर प्रगण है यहां भक्तों का आना जाना है। यह मंदिर में जन सुनवाई क्यों होता है। यहा औपचाकिताए होता है। जन सुनवाई उद्योग में क्यों नहीं होगा। यहां सब बड़ बड़े कर्मचारी बाहरर के है और छोटे कर्मचारी यहां कें। हमारा अमलीडीह हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वहां भी जन सुनवाई होना था। मैं विरोध किया तो 50000 हाथ में थमाया जा रहा था। हमारे एरिया के लोग पुलिस से डरते है।

यहां खाने आते हैं। यहां पहले भी मौत होती थी आज भी हो रही किल्न से गिर कर। सरकार हमें 01 रु. में चावल देकर हमें निकम्मा बना रही है।

445. रामु यादव, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
446. सुरेश, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
447. रोहित कुमार, गेरवानी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
448. सरीता, भालुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
449. सुशीला, छर्तांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
450. बबीता बैरागी, भालुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
451. कांतिबाई छर्तांगर, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
452. रामकुंवर, छर्तांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
453. अलेखराम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
454. विकास, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
455. विश्वकर्मा राम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
456. कमल खलखो, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
457. रविशंकर, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
458. नरेन्द्र, – जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
459. नितेश शर्मा, भारतीय जन – रायगढ़ जिला भारत का सबसे प्रदूषित जिला होते जा रहा है और पर्यावरण विभाग उद्योगों का साथ दे रही है। ये बहुत गलत है। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है जानकारी मिली। यहां बाजरे की फाल होती है। लेकिन रायगढ़ में तो धान के सिवा और कोई फसल नहीं है इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग हैं जिसकी जन सुनवाई पूर्व में हो चुकी है। वास्तविक आकड़े ये नहीं हैं फिर भी जन सुनवाई कराई जा रही है। यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ये पेशा एक्ट में आता है। पड़कीपहरी के झिंगोल, हाथी प्रभावित क्षेत्र है यहां फसल को खराब किया जा रहा है, था में एफ.आई.आर. दर्ज है। लेकिन ई.आई.एस. में तो इस क्षेत्र में हाथी ही नहीं। वायु प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र में दमा टी.बी. पैर प्रसार चूकी है। इसके बावजूद भी उद्योगों को विस्तार का परमिशन दिया जा रहा है। जिले के जनता बेरोजगार हैं उन्हें झुठे वादे कर उद्योग खेले जा रहें। क्षेत्र के 10 कि.मी. बसे 40–45 हजार की आबादी है जिनके स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज को हटाया जाये। प्रदूषण के वजह से बच्चों के स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ रहा है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ई.आई.ए. बनाने से पहले कंपनी द्वारा एस.आई. बनाने का प्रावधान है लेकिन नहीं बनाया गया है। यह क्षेत्र 05 अनुसूचित क्षेत्र है इसलिये इस क्षेत्र में जन सुनवाई से पहले ग्राम सभा की अनुमति का प्रावधान है लेकिन ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस क्षेत्र में पूर्व से प्रारम्भ उद्योगों द्वारा हवा में प्रदूषण के कारण 20–25 लोग अपनी जान गवा चुकी है। जिले में कोविड – 19 है फिर भी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। जन सुनवाई गलत रूप से कराई जा रही है, लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।
460. बसंती राठिया, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

461. निर्मला, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
462. नवसखी, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
463. लक्ष्मी राठिया, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
464. गीतामोती, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
465. जमूना, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
466. राजेश सिंह, तमनार – आज की यह जन सुनवाई तिसरा जन सुनवाई है। यह जन सुनवाई पहले ही नजरीये में अमान्य घोषित हो जाता है क्योंकि कोविड 19 महामारी से देश जुझ रहा है और प्रशासन के द्वारा जन सुनवाई कराना गैर कानूनी है। कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जिस जगह पर यह जन सुनवाई हो रही है ये क्षेत्र 05 अनुसूची क्षेत्र है। सविधान सुप्रीम कोर्ट ने यहां के लोग सीधे-सीधे इस क्षेत्र के सरकार बनाया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट हमें प्यवरण विभाग से हिन्दी में उपलब्ध नहीं कराई है। क्योंकि इस क्षेत्र के लोग इंगलिस जानते हैं क्या। ई.आई.ए. रिपोर्ट हिन्दी एवं इंगलीस दोनों में होनी चाहिए। 20 साल पहले की ई.आई.ए. रिपोर्ट और आज की ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। यह ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने से पूर्व ग्राम वासिया से पुछा नहीं है, तो ये देशद्रोह है। जो सविधान का पालन नहीं करता है वो देशद्रोह है। निश्चित ही इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लगे हैं विकास के नाम पर रोजगार के नाम झुठ बोलते हैं। आकलन कर के देखे क्षेत्र में कितने लोगो की उन्नति हुई है। विकास सिर्फ उद्योगपतियों का हुआ है। इस गांव में घुम के देखीये कितना विकास हुआ है। आने वाले समय में प्रकृति आप और हमें माफ नहीं करें। इस क्षेत्र के किसानों को पानी मिल रहा है या नहीं आकन किया जबकि उद्योग भू-जल से पानी निकालेंगे। मैं उद्योग के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही विस्तार। लेकिन वो नियमों के अनुरूप काम करें क्या रोजगार दिया, प्रदूषण कम किया। तो प्रशासन किया कर रहा है। आप जिनकी टेक्स की तनख्वा खाते हैं उनकी निगरानी नहीं कर सके तो एन.जी.टी. तक बात नहीं जाती। लोगो के जान को जोखिम में डाल का जन सुनवाई कराते हैं। किसी भी एन.जी.टी. के फेसले का आज तक पालन नहीं किया गया फिर भी जन सुनवाई कराई जा रही है। जन सुनवाई की आवश्यकता उद्योग को ही नहीं जनता, पुलिस, आपको हमें सब को है। बात को गहराई से लेते हुये जन सुनवाई को निरस्त किया जाये।
467. स्वारथ साव, – विरोध।
468. गजानन्द यादव, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
469. अमरसाय, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
470. महाबली, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
471. सायराजु लकड़ा, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
472. सरोज कुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
473. विक्की, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
474. सुनील कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
475. विमला, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

476. ऋषीकेशन, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
477. लक्ष्माण साहू, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
478. बलराम, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
479. सरस्वती, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
480. तारा, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
481. सोनपति, छर्टांगर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
482. सीतराराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
483. सावित्री, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
484. भोजमति, कलमा – कोरोना काल में जन सुनवाई का विरोध करती हू।
485. आरती राठिया, गारे – कोरोना काल में कंपनी का विरोध करती हूँ।
486. पार्वती बुढ़ीनार– कोराना काल में कंपनी का विरोध करती हूँ। जन सुनवाई का खबर नहीं है में रे गांव में।
सब कुछ बंद है, इंसानों का पढ़ाई लिखाई सब बंद है तो जन सुनवाई क्यों हो रही हैं
487. नित्या राठिया, सराईटोला – कंपनी का विरोध करती हूँ।
488. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
489. प्रमोद कुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
490. प्रहल्लाद चौहान – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
491. अरुण बेक, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
492. दिलसाय, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
493. राकेश यादव – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
494. प्रताप, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
495. उमेश पटेल, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
496. चन्द्रभान, समारुमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
497. अलेख नई, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
498. मुन्ना, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
499. सुमन लाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
500. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – आज इस कोरोना काल के दौरान प्रशासन की कौन सी मजबूरी है जो यातायात बंद हो गई, ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई, इंसानों का घर से निकलना बंद हो गया, कोरोना को सबसे खतरनाक महमारी बताया गया। लगता है भारत में जो कानून बनता है उसे तोड़ने के लिये बनाया जाता है। कोविड 19 की खुले आम धज्जिया उड़ाई जा रही है। क्या यह जनसुनवाई एक अवसर है। लोगों के जान को दाव में लगाकर यह जन सुनवाई कराई जा रही है। 2011 में 31000 आवादी वाले क्षेत्र था। आवेदन के 45 दिवस के अन्दर जन सुनवाई का आयोजन होना चाहिए, यदि राज्य सरकार 45 दिन में जन सुनवाई नहीं करा पाता है तो 45 दिन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति का टीम गठित कर जन सुनवाई कराया जाता है। एस.ई.सी.एल. जो सरकार का उपक्रम 03 से विचाराधीन है तो उनकी

जनसुनवाई क्यों नहीं कराई जा रही है। प्रायवेट उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिये। मैं आज 10-12 ई.आई. ए. लेकर आया हूँ। जिसे 2011-12 में जो जानकारी था वही जानकारी 2020 में भी है। इस ई.आई.ए. में 45 ग्राम पंचायत है इन ग्राम पंचायत के अन्दर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का है जिसमें बरसात, ठण्डी एवं गर्मी का डाटा एकट्ठा करेंगे तब ई.आई.ए. बनेगी। सोशल इम्पैक्ट असिसमेंट बनेगा तो ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। अनुमति पश्चात् ई.आई.ए. बनेगा। लेकिन आपने सोशल इम्पैक्ट असिसमेंट बनाया ही नहीं है। रायगढ़ जिले का सोशल इम्पैक्ट असिसमेंट बनाना है मुझे पूर्व कले महो. धावड़े जी द्वारा कहा गया। जब हम गांव में जाते हैं, तो बोलते हैं 45 गांव का सैम्पल लिये कुआ, नदी नाला का सैसम्पल लिया, लेकिन डाटा लेने के लिये 05 दिन लगेंगे। मुझे किसी गांव में 05 दिन रहने से गांव के लोग पहचानने लग जाते हैं तो क्या ई.आई.ए. बनाने वालों को कौन पहचानता है बताइयें। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र 05 अनूसूची के अन्दर आता है लेकिन ई.आई.ए. रिपोर्ट में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि यह प्रथम पेज पर लिखा होना चाहिए। ये ई.आई.ए. फर्जी है। हम कैसे मानें कि अन्दर के 400 पेज सही हैं। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है इसका जिक्र ई.आई.ए. में कहीं नहीं है। लेकिन यहां के किसानों के क्षतिपूर्ति वन विभाग द्वारा किया गया है, धान को खा जाने शिकायत दर्ज है। यहां दो टॉवर हैं एक समारुमा अमलीडीह और दूसरा पड़कीपहरी में बना है जिसमें हाथी भगाने के नाम से 14 लाख खर्च किया गया है। हाथी यहां कोलाई बहाल, बंगुरसिया तरफ से आते हैं। गेरवानी से राबो में पहले आते थे। प्रदूषण के वजह से हाथियों ने रास्ता चेंज कर हाटी धरमयजगढ़ तरफ बना लिया। और आपका ई.आई. रिपोर्ट कहता है कि इसमें भालू, हाथी, बारासिंधा नहीं हैं। लेकिन यहां 26 प्रकार के जंगली जानवर पाये जाते हैं जो ई.आई.ए. में दर्ज नहीं हैं। इनसे प्रभावित लोग हमारे आस-पास रहते हैं। उनके जीवन के सुरक्षा के लिये हम ई.आई.ए. का रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं। आप यहां ई.आई.ए. बनाने से पहले मदद लेते तो बेहतर ई.आई.ए. बनती है। यहां ग्राम सराईपाली में एक नई बिमारी उत्पन्न हुई है सिलकोसिस नामक है, जो सिलका पत्थर से छिसाई से प्रदूषण से होता है। जिसमें कई मजदूर और एक बच्चे की मौत हो गई। लेकिन आज भी वो खदान चल रही है और खदान में 3 महिनों में मजदूर चेंज कर दिया जाता है। जिसमें म.प्र. के कठली के 26 मजदूर आज भी वहां काम कर रहे हैं। यहां जे.आई.टी. के बच्चों को एक बार भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इन उद्योगपतियों को इस क्षेत्र गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना काल में कंपनी ने यहां से ढाई लाख लोगों को सड़क पर क्षेत्र दिया भुखा मरने। स्थानीय लोगों को रोजगार, शुद्ध पानी, रायगढ़ जिले में सड़क नहीं दे पाये, रात दिन कोयले, एक्साईज, जी.एस.टी की चोरी कर रहे हैं अब वो सेट किरोड़ी मल बन जायेंगे क्या। रायगढ़ जिले के तमनार में 1822 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया गया जिसमें 80 प्रतिशत लोग बिमार पाये गये। रायगढ़ जिले के डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल पाय। हम अपने परिवार को स्वस्थ, शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी खुद का डेव्लप कर सकें। टाटा कंपनी अपने एक प्यून तक को नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि वो बोले इस महामारी के समय जो हमारी कंपनी में काम करते हैं उसे हम बाहर नहीं करेंगे बल्कि कंपनी घाटे में क्यों न चलें। ये ए.आर. इस्पात की जन सुनवाई हो रही है, लेकिन कोई यहां दुर्गा कंपनी बोल रहा, कोई अजय इंगाट्स बोल रहे हैं। उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उनको कहा गया है कि वहां जाना नाम बताना समर्थन

कहना। उनको ये भी नहीं पता जन सुनवाई क्या है। ई.आई.ए. क्या है यहां के सरपंच को भी नहीं मालूम है कि ये क्या है उसे वो आलमारी की शोभा के लिये रखा है। ये ई.आई.ए. समाज में इसलिये लाई जाती है, अगर कोई तथ्य छुट गईया गलत है तो उसे सुधार कर फाईनल ई.आई.ए. बनाये फिर सरकार विचार कर बतायेगे कि पर्यावरणीय स्वीकृति मिलना है या नहीं। स्वीकृति में लिखा होता है गंदा पानी नहीं छोड़ेगे, जल शुद्ध रखेंगे, मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण हो, स्थानीय लोगो को काम में न रखने का कारण यह है कि अगर कोई दुर्घटना होता है तो पुरा समाज मुद्दा खड़ा करेगा। इस लिये बिहार, झारखण्ड, बंगाल के लोगो को काम दिया जाता है। रायगढ़ के उद्योगों को अब सेठ किरोड़ीमल बनने की आवश्यकता है। पूंजीपथरा में एक एयर पॉलूशन सिस्टम लगावा दीजिए, ताकि यहां प्रदूषण की स्थिति है उसकी जानकारी जनता को हो जाये कि वो किस स्तर में जी रही है। रायगढ़ जिला फिर 02 हाईवेस्ट में है। जिस जिले के अन्दर 4 अरब की रायल्टी जाती है उस जिले के पास मॉनिटरिंग सिस्टम लगानो के लिये पैसा नहीं है तो विकास की बात तो छोड़ियें। रायगढ़ जिले में 146000 टन आपका कच्चा माल अलग अलग सड़क के माध्यम से आयेगें, जिसके लिये 4-5 वाहन बड़ जायेगे। कच्चा माल आयेगा ट्रांसपोर्टिंग ढक कर किया जायेगा। लेकिन आज सुबह ही तीन गाड़ियो कव्हर लगा ही नहीं था जिसमें गिट्टी आ रही थी। आप फोर विलर में चलते है धुल कहां से पता चलेगा। कोयला खोदना, निकालना मंत्रालय का काम है। पर्यावरण मानको का पालन हो इसी लिये पर्यावरण विभाग बना है व्यवस्थित तरीके से उद्योग चले इसीलिये उद्योग बना है। दिल्ली में देखे होंगे कि किसान संसद भवन को पार कर जाते है। आने वाले पीढ़ी को बेहतर जीने के लिये बेहतर रोजगार प्रदाय करायें।

501. श्याम कुमार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
502. महाबीर, समारूमा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
503. अनिल चौहान, तराईमाल 7 मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
504. विमला जोल्हे, घरघोड़ा – विरोध करती हूँ।
505. दिनेश्वर सिंह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
506. टीकाराम, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
507. अहेलिया, डोकरमुड़ा – विरोध है।
508. छायावति, डोकरमुड़ा – विरोध हैं
509. रतनलाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
510. सुधीर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
511. राजु कुजुर, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
512. बसंत कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
513. हीरामति, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
514. यशोदा, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
515. घुरमेत, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
516. घुरबो, अमलीडीह – हमरगांव में जिदल मत जाही।

517. गुरबारी, अमलीडीह –
518. सतेन्द्र, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
519. रामदयाल, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
520. राजु मांझी, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
521. हेमंत सिंह, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
522. अजय धनवार, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
523. सोहद्रा, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
524. रामप्यारी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
525. रूजो, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
526. गुरवारी, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
527. बई, अमलीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
528. राधा राठिया, डोकरमुड़ा – विरोध है।
529. वेदकुमारी, डोकरमुड़ा – विरोध है।
530. बाई, डोकरमुड़ा – विरोध है।
531. लक्ष्मीन, अमलीडीह – विरोध है।
532. लक्ष्मीन – विरोध है।
533. रजनी, अमलीडीह – विरोध है।
534. रामवति राठिया, अमलीडीह – विरोध है।
535. लकेश्वरी, अमलीडीह – विरोध है।
536. सुनीता, अमलीडीह – विरोध है।
537. रविन्द्र राठिया, अमलीडीह – विरोध है।
538. वृन्दावति, अमलीडीह – विरोध है।
539. रतिराम, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
540. जुगल, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
541. भरत, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
542. मिलन, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
543. सोनु, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
544. अभनी यादव, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
545. हलधर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
546. गणेश दास, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
547. सुखसागर, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
548. राजेश कुमार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
549. अमित कुजुर, पूंजीपथरा – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

550. मिराज, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
551. लक्ष्मण, छर्टांगर —
552. बसंत, छर्टांगर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
553. चक्रधर, समारुमा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
554. संतोष, पूंजीपथरा — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
555. अर्जुन सोनी, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
556. मनबोध, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
557. प्रेम बारीक, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
558. राजु हलवाई, छर्टांगर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
559. रामदास, छर्टांगर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
560. श्यामदास — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
561. हलेश्वर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
562. राहुल, छर्टांगर — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
563. सहदेवराम, तराईमाल — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
564. नारियर साय, — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
565. सिम्मी साहू, तुमीडीह — मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
566. तारिका तरिगनी लकड़ा, पूंजीपथरा — आज की जन सुनवाई समारुमा पंचायत में ग्राम पूंजीपथरा में पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति के लिये आये है। पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके विभाग को दी है। लेकिन आप प्रदूषण की स्वीकृति के लिये आते है। समर्थन वालो को पहले बुलाया जाता है। विरोध वालो को नहीं। मेसर्स ए.आर. इस्पात, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित प्लॉट नं. 232 एवं 234ए, कुल एरिया-6.20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-1,80,000 टन/वर्ष (Upgradation of existing 2x07 Ton to 02x12 Ton and establishing new 03x12 Ton) एवं रोलिंग मिल क्षमता-1,70,000 टन/वर्ष (01x500 TPD) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई को रद्द करने एवं विरोध करने आयी हू। हमारे देश में एक नारा दिया जाता है न लोक सभा न राज्य सभा सर्वोपरी ग्राम सभा का नारा होता है। लेकिन इस क्षमता विस्तार के लिये कोई ग्राम सभा से प्रस्ताव पास कराया गया है क्या, तो यहां प्रस्तुत कर के दिखाईयें। हम कोर्ट जाते है, कलेक्टर के पास जाये या एस.डी.एम. के पास जाये तो जवाब दिया जाता है तो आप बताये कि किस ग्राम ग्राम ने प्रस्ताव दिया है बताईये, ये जन सुनवाई फर्जी है। संविधान 244 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय को ग्राम सभा के मंजूरी के बिना कोई पर्यावरणीय स्वीकृति देने का प्रमाण मिला है तो प्रस्तुत करें। पंचायती राज के अन्दर अपनी मर्जी हम पर थोप दे पब्लिस करें। मैं इस जन सुनवाई में आपने ए.आर. इस्पात क्षमता विस्तार कर रहा है इसके लिये मुझे या मेरे परिवार को क्या देंगे, क्योंकि मैं पूंजीपथरा की निवासी हू। और इससे मैं प्रभावित होगी तो मेरो सौदा कितने में किया गया है। मैं इस प्रदूषित पानी, खाना, खेती समाप्त हो गई है तो मुझे जवाब

दिजीए। 06 पंचायतों के लोगो की जिंदगी की क्या किमत है बताइयें। मेरे 06 पंचायतो के लिये क्या तय किया है, आपके जन सुनवाई का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। 06 ग्राम प्रभावित है वहां के लोगो से प्रस्ताव पास कराया जाना चाहिए था, इस जन सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। 06 पंचायतो का विरोध और समर्थन के लिये बुलाना चाहिए लेकिन आप उड़ी, कर्नाटक, बिहार, झारखण के लोग आकर समर्थन दे रहे। ये फर्जी का आप लोगो ने किया है। आपको लगा हम जाहिल गवार है, जो 2 समोससा के लिये अपनी जिंदगी कंपी वालो को ससौप देंगे। और समर्थन दे देंगे। छ.ग. सरकार ने पर्यावरण विभाग को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी है, और पर्यावरण विभाग यहा अनुसूची क्षेत्र में प्रदूषण करने की स्वीकृति दे रही। उद्योगो में काम करने वाले बाहरी लोगो को आने की अनुमति दे रहे। आपने पर्यावरण को बढ़ाने के लिये यह जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। छ.ग. राज्य की जिम्मेदारी कि आदिवासी की रक्षा करे लेकिन आप यह की खेती खत्म कर दी। धान की किमत आज 10 रुपये प्रति किलो और लोहे का 100 रुपये। सड़क पर आदमी नहा कर निकला है तो रायगढ़ से यहां आते तक पहचानना मुश्किल है, आम और इमली के पौधे को पहचानना मुश्किल और आप हमारी जीदिगी का सौदा कर रहे है। आपने कभी भी आदिवासी के अपर बरगालने पर रोक नहीं लगाई। यह जन सुनवाई हमसे अपनी जिंदगी मांग रही हैं, उद्योग वाले मंदिर में दर्शन के नाम पर समर्थन के लिये जा रह है। स्थानीय लोगो को दारुस पीकर समर्थन कराया जा सके इस लिये उद्योग वालो को पुरी छुट दी है। दारु, मुर्गा खिला पिला कर समर्थन के लिये आ रहे। बाहरी लोग स्थानीय लोगो से ज्यादा हो गये है इस क्षेत्र में। इन उद्योगो ने हमारी पंचायत को रोजगार से वंचित रखा है साथ ही समाजिकता से भी अलग कर दिया है। पूंजीपथरा गांव को बसाने वाले ही आदिवासी है उन्हे गैर आदिवासी बना दिया गया है। लोगो की एकता, समाजिकता टुटती जा रही है। आपको दिख नहीं रहा है। आप लोगो को कैदी की तरह रखना नहीं पड़ा। आप लागे रिसवत खाकर बढ़ीया टेन्ट लगाकर प्रदुषण करने वाले को बैठा के रखे है। और हमे कटघरे में खड़ा कर दिये है। पूंजीपथरा में 40-50 उद्योग है जिसमें अत्याधि प्रदूषण हो रहा है जिससे कई लोगो की मौत हो रही है। 03 वर्ष हो गये है लेकिन पर्यावरण विभाग से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लोगो को मृत्यु देने वाले आप सरकारी लोग है। आपकी जिम्मेदारी है लोगो की सुरक्षा करना लेकिन आप लोग भक्षण है। यह जनसुनवाई फर्जी है। यहां के सरपंच भी फर्जी है। कोरोना में सभी विभाग की जिम्मेदारी है कि लोगो की रक्ष करे सुरक्षा करें लेकिन आप लोग पीक-अप ट्रेक्टर में दुस -दुस के ला रहे है। कोरोना मरीज कल किसी से बाईक मांग के अस्पताल जायेगा तो आप चालान काट दिया जाता है। इण्डस्ट्रीयल पार्क पर पुलिस छापा मार रही है लोग डर के अलग रास्ता बना के अस्पताल जा रहे है। मैने टी.आई. से फोन में बात किया की आप मेन रोड़ जाम करे है तो जंगल झाड़ियों में रास्ता निकाल कर जा रहे है। लोग यहां बिना मास्क के लोग घुम रहै है। यहा कोरोना काप्रकोप है फिर भी जन सुनवाई करा रहे लोगो को मौत के घाट उतारने के लिये। जो भारत के सविधान पर शपथ खाकर कुर्सी में बैठते है वे सविधान का खुल उल्लघन कर रहे है। मै विरोध करती हूँ।

567. राधेश्याम शर्मा, जन जागरण मंच, रायगढ़ – इसके पहले 02 जन सुनवाई हो गई है, दुर्भाग्य वश मै नहीं आ पाया। आज की तारीख में और पूर्व में जो 02 जन सुनवाई हुए है उसमें एम.आर.सी. की गाईड लाईन

में इस प्रकार का जन सुनवाई कराने का प्रावधान नहीं है। इस वैश्विक माहमारी के समय मान. राष्ट्रपति ने क्या निर्देश दिया है या राज्य के किस सर्वोच्च पद पर है, जो इस जन सुनवाई करने का आदेश दिया है। उपस्थित जनता जान सके कि आज की जन सुनवाई वैधानिक रूप से सही है, या नहीं, यह जनता को जानने का अधिकार है। **एडिशन कलेक्टर महो द्वारा बताया गया कि कलेक्टर महो. के आदेश से जन सुनवाई कराई जा रही है।** रायगढ़ एक कन्टेमेंट जोन में है, आप हमें गाइड लाईन हिन्दी में पढ़ के बताइयें। हमें अपना अधिकार मालुम है। ये जन सुनवाई बन्द करें। यह जन सुनवाई अवैधानिक रूप से हो रहे हैं जहां ज्यादा मरीज है, जहां ज्यादा प्रदूषण है वहां आप जन सुनवाई कराया जा रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी है दायरें में रहिए। अवलोतात्रिक है, यह जन सुनवाई नहीं हो सकह आप यहां जायेईयें, आगे की प्रक्रिया नहीं होने देंगें। जन सुनवाई निरस्त करें। बिना समझे सोच आप आ गये, गाड़ियों में दो आदमी आ रहे उन्हें आप फाइन कर रहे और यहां। आप घोषण करिये ऐसे परिस्थियों में नियमों की जानकारी है। आप बिना नियम कानून के जन सुनवाई करने पे तुले है। आप कलेक्टर महोदय से बात कराईयें। आप भी आई.ए.एस. है, आपकी अर्हता आप भुल गये। सामने जो जनता आईयेगी आप मौन नहीं रह सकते है। आप मेरी बातों का जवाब दिजीए मै कोई अवैधानिक बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड अस्पताल में मरीजों के पास कोई जाता नहीं है और आप यहां क्या कर रहें। जन सुनवाई बन्द करने की घोषण किया जायें। सविधान के अनुरूप कानून बना है, जो संस्था है सविधान के अनुरूप करती है तो आप सविधान का उल्लंघन क्यों कर रहें। आप राज्य सरकार या उद्योग के दबाव में कार्य क्यों कर रहे है। मै कोई दबाव में अवैधानिक कृत्य नहीं करने को नहीं बोल रहा जन सुनवाई गैर कानूनी है। समय का ध्यान रखते हुये जन सुनवाई को बंद करने का घोषण करने और कहे सरकार से भुल हो गई है। छ.ग. में रायगढ़ सबसे ज्यादा कोरोना है, कन्टेमेंट जोन में है, यहा प्रतिबंधित है। छ.ग. की जनता को भेड़-बकरी न समझे। कंपनी फर्जी है, ई.आई.ए. फर्जी है, जनसुनवाई फर्जी है। आप इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराईयें। आप 05 अनूसूची क्षेत्र में जन सुनवाई कैसे करा सकते है। उद्योगों का क्या मनमानी है हमें पता है। उद्योग वाले बेशर्मी से ऐ काम करवा रहे। ये धुल डस्ट नहीं दिख रहा है। यहा रोड़ नहीं बनवा रहें। यहा बिना कानून बिना नियम के देश चल रहा है। माहमारी क्षेत्र छ.ग. के सबसे ज्यादा रायगढ़ है और लोगों के जीवन से मजाक रहे है। आप कोन होते है नियम का उल्लंघन करने वाले। आपके पास छ.ग. के मेडिकल काउन्सील का अनुमति है, क्या। इस माहमारी में सारे नियम शिथिल है। माहमारी अधिनियम का उल्लंघन आप करेंगें। पुरे देश के लोग नियम पालन कर रहे है। स्थिति सामान्य पश्चात जन सुनवाई करायें। पर्यावरण अधिकारी ने गाइड लाईन पढ़वा आप उसका पालन नहीं कर रहें। क्या फेक्टी वाले आपको मारने की धमकी दिये या क्या विवसता है। कानून के उल्लंघन की क्या विवशता है। रायगढ़ एक कन्टेमेंट जोन है। ये बाहर में हत्या करवा रहे है उनके लिये आप धारा 144 हटवा दियें। उद्योगों के लिये जन सुनवाई करवा रहें। क्योंकि आप उल्लंघन कर रहें। रायगढ़ में पुरे छ.ग. के सबसे ज्यादा कोविड के मरीज है। प्रशासनिक पद पर बैठ अधिकारी को सिर्फ नियम का पालन करें। सविधान का पालन करने। होश नहीं मुख्यमंत्री को जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता के लिये क्या व्यवस्था है, जनता के नौकर है आप। हम प्रशासनीक अधिकारी की गुलामी झेल रहे है और उद्योगपतियों के। ये कन्स्टेंसी सिफ

आकड़ा को रख दी है, की आकलन नहीं कराया गया है। अधिकारी उद्योगपति से थोक पैसा लेकर आये है। पुरा देश परेशान है सरकार से। आप अपने उद्योगपति मालिक की तरह डटे रहना है, सोच रहे है। ये सारे लोग अपने मनमानी करने के लिये प्रशासनीक पद पर बैठे है। पुलिस वाले सेना का दुरपयोग कर रहे है। सतय को स्वीकार करे, या अमला अधिकारियों से बात कराईये, जन सुनवाई बंद करें। माननीय पीठासीन अधिकारी कानून का उल्लघन कर रहे जनता के साथ आख में चाली कर रहे, मै मौखिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज कराना चाहता हूं कि एडिशनल कलेक्टर, क्षेत्रीय अधिकारी एवं उद्योग कन्सलटेंसी के उपर। कन्सलटेंस कम्पनीय टेबल में बैठकर रिपोर्ट बना रही है। ई.आई.ए. रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के बजाये आप जन सुनवाई कर रहे है। 2008 में एक ग्राम न्यायलय तैयार हुआ जो आज तक नहीं कर सकें। औद्योगिक न्यायलय 2015 में लागु हो गया। अगर सविधान नहीं मानना है तो लाईए मैं जला दुंगा। पर्यावरण मंत्रालय गलत तरीके से ई.आई.ए. बना रहा है। स्थानीय लोगो के समक्ष ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाये। न इसमें ग्राम पंचायत पहुंच पा रहा और न ही को जनता। कोविड से जितना प्रभावित है उससे ज्यादा तो प्रदूषण से प्रभावित है यहां की जनता। आप नियम का पालन क्यों नहीं करवाना चाहते। इन आयोजन के माध्यम से आप हत्या कर रहे है। उद्योग ने 45 दिवस के अन्दर जन सुनवाई नहीं करवाया जा रहा है। अगर नहीं करवाया जा रहा तो केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को अधिकार है जिला प्रशासन को नहीं है। आम जनता परेशान है और नियम का उल्लघन कर रहे है। पर्यावरण के नियम को तोड़ के आपको जन सुनवाई कराने का आदेश आपको कौन दिया है। पर्यावरण नियम का उल्लघन करने वाले के उपर एफ. आई.आर. दर्ज कराने का अधिकारी है। इन सड़कों को देख रहे है आप? एक नही सारे उद्योग का निरीक्षण करना है आपको। सदस्य सचिव ने आपको गलत निर्देश दिये है, आप कन्द्रीय मंत्रालय में लेटर लिखिये। कन्सलटेंसी द्वारा पर्यावरण आकलन रिपोर्ट बनाया गया है उसमें एक भी ग्राम सभा का प्रस्ताव है क्या। उनका लाईसेंस निरस्त किजीयें। जेल की रोटी तोड़ेगे सब समझ आ जायेगा। दुसरों की जिंदगी खदाब कर रहे है। रायगढ़ का प्रशासन जिम्मेदार है। हजारो महिलाओं का मांग, माताओं का गोद उजड़ रहा है। और मजाक कर रहें। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखावायें। फोर्स और पुलिस देश नहीं चला सकते क्या। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जिन बिन्दुओं पर जन सुनवाई होना चाहिए वो आपको मालूम है, लेकिन उल्लघन करने के लिये उपर से आर्डर है। नियम मालुम नहीं और सचिव बना बैठा है। मंत्रालय में पता नहीं है महमारी अधिनियम पुरे देश में चल रहा है। पुलिस विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुरोध है कि कानून का दुरुपयोग प्रशासन एवं उद्योग द्वारा किया जा रहा है मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा मौखिक रूप से। आप अपने बड़े स्तर के अधिकारियों से बात करें और गिरफ्तार करियें। ये जनता और प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है। महमारी का उल्लघन देशद्रोह है। हमारा आवेदन आपके कार्यालय में पूर्व में गया आपको उसी टाईम मेरिट में कार्यवाही करना था। क्यों नहीं कराया गया। क्या आपको नियम नहीं पता। अधिकारी गलत निर्देश देंगे तो जन सुनवाई करा देंगे। आप जनता के नौकर है। आप कलेक्टर महो. से चर्चा करे और निर्णय लें। उद्योग का पुरा कुलबा अपराधी है। मोनेट चल रहा है। उसका स्टेशन का जन सुनवाई स्पॉट पर निरस्त हो गया। गिरफ्तारी कब करा रहे है। जन सुनवाई की हार्ड और साफ्ट कापी फर्जी है। मोनेट फर्जी तरीके सं संचालित हो रहा है। ये नियमविरुद्ध महिलाओं के लाईन में एडिशनल कलेक्टर महो.

ने इनोसेंट किया गया है। ये हमारे देश के सर्वमान्य नेता को गाली दे रहे हैं। मेरा माईक को बंद कर पक्षपात किया गया है। मेरे अधिकारों को कुचला जा रहा है। मेरी बात पुरी नहीं हुई। जो कानुनी होना चाहिए वो गैर कानुनी रूप से हो रहा है। पंचायत में पहले एन.ओ.सी. दे दों। पुरे देश पुरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप है। रायगढ़ छ.ग. का अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र में है और ए कन्टेनमेंट जोन में है। हमारे यहां संख्या सबसे अधिक है इसके पश्चात् तीन जनसुनवाई कराना नियम विरुद्ध है महामारी अधिनियम का उल्लंघन है। पर्यावरण की अधिसूचना का प्रावधान है उद्योग के द्वारा आवेदन दिये गये हैं वो 45 दिवस के अन्दर विधिक अधिकार जिला प्रशासन को है उसके पश्चात् नहीं कराने के स्थिति में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को है। कन्सलटेंसी के द्वारा टेबल वर्क कर के आकलन किया जाना फर्जी है। जो कंपनी को क्लीयरेंस दिलाने में मदद गार है। जनता प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है। इस अपराध में पीठासीन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी एवं उद्योग इस अपराध के दोषी है। मैं पीठासीन अधिकारी से सादर अनुरोध करूंगा से शुन्य घोषित कर इसे निरस्त करें। अगर निरस्त नहीं कर पाने स्थिति में पीठासीन अधिकारी नियम का उल्लंघन कर रहें। मुझे न्यायालय जाना पड़ेगा इसका उत्तरदायी पीठासीन अधिकारी की होगी। इसके लिये मैं संबंधित थाने में एवं पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी के पास अपराध दर्ज कराऊंगा। मैं प्रशासनीक अमले को परेशासन नहीं करना चाहता। इन तीनों जन सुनवाई को शुन्य घोषित करना होगा। दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करूंगा इसे शुन्य घोषित किया जाये एवं त्वरीत कार्यवाही के लिये नयायलय जाऊंगा। इस विषम समय में जहा पुलिस की आवश्यकता है वहां न जाकर यहां है। मैं पुलिस विभाग का सम्मान करते हुये इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ और उद्योग के साथ मिलकर सड़यंत्र कर रहे उन्हें गिरफ्तार करने आग्रह करता हूँ।

568. उमेश प्रधान, सराईपाली, – मेसर्स ए.आर. इस्पात, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) एक फर्नेश है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगी। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
569. खीरसागर मालाकर, पंच तराईमाल – अगर कोई विरोध कर रहे तो बताये गांधी वादी चोला पहन कर गाली गलोच कर रहे हैं। चिल्ला रहे हैं, निर्धन कन्या बुलाकर दिखायें। यहां एक कन्या निर्धन के लिये बी. एस. स्पंज ने 11000 रुपये दिया है। सिंघल ने गोविंद टोप्पो की बहन को 5100 रु. दिया गया है। एन.आर. इस्ताप में 2100 एवं नलवा द्वारा 11000 रुपये नगद दिया गया है। कंपनी सहयोग कर रही है तो विरोध किस बात की। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। कंपनी का स्वागत है लोगो का सहयोग कर रही है।
570. द्वारिका सिंह, उप सरंपच, समारूमा – विनाश के साथ विकास जुड़ा है। गोदगोदा गांव एक छोटा सा है आज वहां हर घर में कार पीकअप है। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ। विस्तार करें।
571. युगल किशोर, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
572. राजु गुप्ता – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
573. महेन्द्र अग्रवाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
574. कन्हैयालाल गुप्ता – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।

575. देवचरण, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
576. करुणाकर मालाकर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
577. सहदेव प्रधान – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
578. लक्ष्मी सोनी, – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
579. संदीप – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
580. मांझी – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
581. उमेश – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
582. अक्षय, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
583. राजा, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
584. कसेट, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
585. चन्द्रशेखर, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
586. ईश्वर, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
587. रामलाल अजगले – मैं बिल्कुल नहीं चाहता कंपनी रहें। धूल ध्साक्कड़ रहें।
588. प्रेमदास – 02 सप्ताह के लिये कंपनी बद हुई तो अच्छे अच्छे का कमर डीला हो गया था। जिस घर में खाने के लिये तरस रहे थे। अगर कंपनी नहीं रहेगी तो न आप रहोगे और न हम। जहां विकास होता है वहां विनाश भी जरूरी। सुविधा है तो दुविधा भी है। 35 के डम्पर में ट्रकर के लिये 25 की गाड़ी लेकर चलते हैं।
589. विद्याधर सिदार – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
590. डिग्रालाल, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
591. अमित मालाकर, तुमीडीह – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
592. अशोक पण्डा, – कंपनी का विरोध करता हूँ।
593. उमाशंकर राठिया – कंपनी का विरोध करता हूँ।
594. मुरलीधर – कंपनी का विरोध करता हूँ।
595. बलराम राठिया – कंपनी का विरोध करता हूँ।
596. कुंदन – कंपनी का विरोध करता हूँ।
597. बोधराम गुप्ता घरघोड़ा – कंपनी का विरोध करता हूँ।
598. कैलाश मिश्रा, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस – कंपनी का विरोध करता हूँ। क्योंकि यह फेक्ट्री किसान के अहित के लिये काम करता है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारा खेती प्रभावित होता है। बाहर से आकर मजदूर काम करके चले जायेगा। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। कंपनी का विरोध करता हूँ।
599. सचिन दास महंत – कंपनी का विरोध करता हूँ।
600. राजकुमार मांझी, तुमीडीह – समर्थन।
601. पित्रु मालाकार, तराईमाल – समर्थन।
602. लक्ष्मी भगत, सरपंच तराईमाल – समर्थन।

603. भोला घरघोड़ा – कंपनी का विरोध करता हूँ।
604. पंचराम मालाकार, तराईमाल – यह जन सुनवाई बंजारी धाम के स्थल में हो रहा है। यह एक सामाजिक आर्थिक देवी मां स्थल है। रायगढ़ जिला एक तीर्थ यात्रा है। देश प्रदेश से लोग आते हैं। मनोकामना मानकर सिद्ध करते हैं। रायगढ़ जिले के अन्तर्गत तराईमाल समारूमा जहां कोविड का कोई महामारी पूंजीपथरा, तराईमाल में नहीं हुआ है। मां बजारी अन्तरयामी है वो सब की रक्षा कर रकती है। 10 कि.मी. में अभीतक कोई भी कोविड से संक्रमित नहीं हुआ है। न कोई प्रदूषण न कोविड से बिमार हुये हैं। घरघोड़ा में 2 करोड़ करोड़ बनवाया गया है। ग्राम तराईमाल में विकास न करके घरघोड़ा में किया गया है। हम गांव वाले नहीं बोलते हैं कि वहां सी.एस.आर. का पैसा खर्च करते हैं। जो भी कंपनी खुल रहा है वो स्थानीय लोगो को रोजगार दिया जाये फिर अन्य प्रान्त के लोगो को दिया जायें। लेबर वर्ग के हैं तो लेबर , पढ़े हैं तो पढ़े के हिसाब से दिया जायें। 10 कि.मी. के रेडियस में विकास कार्य किया जाय। हर जन सुनवाई में मैं अस्पताल खोलने की बात कहता हूँ। रायगढ़ घरघोड़ा के भी मैं एक भी स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल नहीं है। सड़क का कार्य सही में चिन्ताजनक कार्य है। बहुत उबड़ खाबड़ है मोटर साईकल से जाना बहुत कठिन है। शासन से अनुरोध है कि बेरोजगारो को रोजगार के लिये रोजगार कार्यालय में आवेदन देकर दिया जाये एवं शिक्षा के लिये सी.एस.आर. मद से अनेक कंपनियों ने चेक देकर खिलाड़ीयों को देकर भेजे हैं। यहां विकास के लिये हमारे गांव में नवला द्वारा सड़क निर्माण कारवाया गया है। अभी स्कूल के लिये 10 एकड़ जमीन मेरे परिवार द्वारा दिया गया है, जिसमें नलवा द्वारा चारो चरफ से बाउण्ड्री वाल दिया गया है हर उद्योग द्वारा मां बंजारी धाम के लिये सहयोग राशि भी देकर मंदिर का निर्माण कराया गया है। मेसर्स ए. आर. इस्पात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। उनसे मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में उनके रेडियस गांव आता है वहां के लड़को को योग्यता अनुसार नौकरी में रखे। आज हम लोग धूल धक्कड़ खा रहे हैं उसे हम जानते हैं बाहर के लोग क्या जानेगें। मैं एक छोटा किसान था, हम पत्ता तोड़ते थे, मौहा तोड़ते हैं, मूली लेकर रायगढ़ बेचने जाते थे। हमारे परिवार में कुल 1000 एकड़ जमीन था जो भू-अर्जन और विक्री में दिया गया था। यहां जमा कृषि योग्य नहीं था। अब हम कृषि योग्य जमीन बाहर में खरिदा हू। 80 लाख का धान साल में मैं बेचता हूँ। ऐसे ऐसे मजदूर हैं जिन्हे इन्द्रवास से 140000 मिल रहा है, उसमें 04 मकान बना रहा है। 2 हजार में किराया लगाया गया है। मेरा गांव आदिवासी क्षेत्र है। लकड़ी बेचकर जीवन यापन करते हैं। आप देखने आये हो क्या कभी। एम्बुलेंस मंगवाकर हम गरीब लोगो को अस्पताल बेझते हैं।
605. शिव प्रसाद – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
606. गोपाल मालाकर – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
607. मिनकेतन, तराईमाल – मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
608. भरत लाल मालाकर, तराईमाल – पुरा भारत बेरोजगारी से जुझ रहा है। अपने बच्चे ओ.पी. जिंद में बी.ई. कर आज पान ठेला खोला , मजदूरी कर रहा है। इसलिये खर्चा किया है। हमारे क्षेत्र तराईमाल, समारूमा, के बच्चो को उद्योग नौकरी में रखें। स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दें। प्रदूषण की मार से जुझ रहे हैं। आने – जाने में बहुत धूल धक्कड़ होता है। प्रदूषण को रोकने का उपाय किया जाये, सड़क में पानी की व्यवस्था के लिये बोलने पर दो दिन करते हैं फिर वहीं। प्रदूषण की चपेट हमारे गांव के लोगो को लग रहा

- है ओ कम से कम हों। हमारे आस पास के ग्राम के लोगो को उद्योगो में योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाना चाहिए। बी.एम.एस. डॉक्टर 08 साल काम कर एलोपैथिक का ज्ञान रखता है तो सरकार से वेतन देता है लेकिन उद्योग नहीं। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
609. बोधराम सिदार, – शासन गरीब को बलि का बकरा बना कर रखता है। कर्मचारी दलाली करता है। मैं सब आंदोलन कर चुका हूँ। 375 लोगो के साथ केलो डेम में धोखा कर चुका है। पहले भाजपा सरकार था अब कांग्रेस सरकार है अब देखते है। आज बच्चा बच्चा शासन को नक्सली के नाम से जानता है। मैं कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप लड़ाते है। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
610. अश्वनी हिन्दु, – अभी रोड़ में डस्ट देख रहे है। और बोलते सोशल डिस्टेंसिंग रखों तो जन सुनवाई करवाना ही नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़िया है। हमें बर्बाद मत करो। मैं विरोध करत हों।
611. राकेश, घरघोड़ा – कंपनी का मैं पूर्णजोर विरोध कर रहा हूँ। अभी सड़क में इतना गाड़ी चलत है दुर्घटना हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है। जमीन खरीद कर छोटे –दोटे जीव जन्तु को मार रहे है।
612. चिन्दु पैकरा घरघोड़ा – विरोध हैं
613. अजय – विरोध है।
614. कैलाश घरघोड़ा – विरोध।
615. सुनील कुमार बेहरा, तराईमाल – इस एरिया में उद्योग बहुत है जिससे फायदा भी बहुत है और नुकसान भी। उद्योग अपना विकास कर रही है। हमारा भी होना चाहिए। सभी उद्योगो को दिशा निर्देश करें बैग फिल्टर ई.एस.पी. को चलायें। यहां से गुजरने वाले अधिकारी भी ध्यान नहीं दें। यहां आधा कि.मी. के अन्दर में पानी छिड़काव किया जाये, इससे दुर्घटना भी बहुत हो रहा है। हमारे सभी बेरोजगार भाईयों को योग्यता अनुसार ही रोजगार दिया। सभी उद्योगों में दुर्घटना होती है तो पट्टी लगाने के लिये मलहम नहीं टिटनस की सुई है। सभी उद्योगों में एक स्वास्थ्य केन्द्र या डॉक्टर रखें। मरीज को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। उद्योग द्वारा गांव में कैम्प लगाया जाता है वैसे साल में दो या तीन बार कराया जाये। उसे शासन द्वारा निगरानी में रखे। उद्योगों में लापरवाही चल रही है, ना तो जुता है, न हेलमेट है। और अगर दुर्घटना दौरान कोई मर जाता है तो कुछ मुआवाजा देकर उसे दबा दिया जाता है। उनके बीबी-बच्चे भुखे मर रहे है फिर। सेपटी के उपर ध्यान दिया जाये। महिना में एक बार उद्योग का निरीक्षण किया जाये। मेसर्स ए.आर. इस्पात का समर्थन करता हूँ।
616. दिनेश कुमार, घरघोड़ा – मैं विरोध करता हूँ। स्थानीय लोगो का रोजगार दिलाये।।
617. उमाशंकर, – विरोध करता हूँ।
618. प्रियांसु – विरोध।
619. मुस्तफिक खान – विरोध।
620. राजेश गुप्ता, सराई पाली – हमारा क्षेत्र अब बहुत प्रदूषित हो गया है, अब रहने लायक नहीं है। पहले हम तालाब में नहाते थे चर्म रोग होता है डॉ. बोलता है तालाब में मत नहाओं। डस्ट जहां डाला जाता है तो मिट्टी नहीं डाला जाता हैं। पाली में 1 से 1/2 फीट फ्लाई जम गया है। पूंजीपथरा में जो उद्योग है ओ रोजगार की बात करता है। लेकिन यहां की महिलायें कचरा बीन कर आपना भर-पोषण करते है। मेरा

भाई इंजीनियर है मैं कई कंपनी में गया नौकरी के लिये लेकिन उद्योग वाले बोलते हैं कि हम लोक को नौकरी नहीं देंगे क्योंकि बाद में वो आंदोलन करेगा। कंपनी क्वार्टर की पिसाई में प्रदूषण में सिलीकोसिस बिमारी होता है। इस काम के लिये ग्रामीण महिलाओं को दिया जाता है, और न ही कोई सेप्टी, मास्क जुता कुछ हनी दिया जाता न ही जल छिड़काव किया जाता है। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

621. जयंत बहिदार, संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – क्या ये सड़क चलने लायक है साहब, जिसमें आप आये हैं। यहां कंपनी के द्वारा चलाई गई गाड़ियों से फेक्ट्री द्वारा प्रदूषण से वनस्पति खराब हो रही है देखियें। सभी मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस बनाओ बोल रहे, तो पीकअप में भर-भर के ला रहे हैं उसे बिमारी नहीं होगा। गरीबों को यहां रोजगार के लिये बुलाये हैं क्या। सरकार में बैठकर कानून का उल्लंघन न करें। एन.जी.टी. ने कहा है यहा प्रदूषण बहुत हो रहा है, वनों की रक्षा के लिये कहा है, सड़क बनाने को कहा है। विधायक लोगो, सांसद महो. की क्या जिम्मेदारी है। राजनिति कलेक्टर करता है, प्रतिनिधि आप लोग करते हैं। लाश को उठाना, पोस्टमार्टम कराना, पुलिस की ड्यूटी है क्या। देलारी में दारु खुलेआम बिक रहा है मौहा का देशी शराब बनाकर खुलेआम बेचा जा रहा है। कितना प्रदूषण, जल/वायु कितना प्रदूषण आकलन किया, क्यों जन सुनवाई कराते हैं। कलेक्टर साहब को माटर साईकल में लाईये कितना प्रदूषण तक पता चलेगा। हम कानून का पालन करते हैं। दन्तेवाड़ा सुकमा में ड्यूटी करने का दम है आपका, हम गांधीवादी हैं। गांधी की आलोचना करने वाले हम नहीं छोड़ेंगे। देश को बचाना है तो गांधी को जिंदा रखना है। आज दिल्ली पंजाब में आन्दोलन गांधीवाद से चल रहा है। बिना समाज के सहयोग से पुलिस का काम नहीं चल सकता है। हमने आंदोलन करते हैं तो तोड़ा फोड़ नहीं करते। बल्कि ड्रायवर लोगो को खाना खिलाते हैं। यह जन सुनवाई में नियम का उल्लंघन हो रहा है। नियम कहता है जन सुनवाई कंपनी के नजदीक में या परिसर करना चाहिए आप मंदिर में क्यों करवा रहे हैं। हम मेसर्स ए.आर. इस्पात का विरोध करते हैं। औद्योगिक पार्क में और कितना विस्तार करेंगे। गरीबों का महान तोड़ेंगे आप बेजाकब्जा करकें। शिक्षा का संस्था ऐसे जगह में होता है क्या। त्यौहार के दिन आप लोग जन सुनवाई कर देंगे। विरोध करने से आपको लगता गैर कानूनी काम कर रहे लेकिन गैर कानूनी कार्य आप कर रहें। जिंदल पार्क के किसी कंपनी को और विस्तार करने की अनुमति न दे। मैजिन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये हैं जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 5:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दों तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि ये प्रस्तावित परियोजना में लोकल लोगो को नौकरी दिया जायेगा। 45 दिन का नियम रखा है मिनिस्ट्री ने। ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। प्रस्तावित विस्तारण में वायु प्रदूषण के लिये बैग फिल्टर लगाया जाया। जिसमें चिमनी 30 मीटर रहेगी। ग्रीन बेन्ट भी 34

प्रतिशत में किया जायेगा। सोसाल इम्पेक्ट हम लोग जमा किया गया है। ग्राम पंचायत के एन.ओ.सी. के लिये भारत सरकार अधिनियम में नहीं लिखा है। 15.10.2018 से 15.01.2019 तक 10 कि.मी. परिधि में आकलन किया गया था। ग्राउण्ड वाटर से 205 ली. प्रतिदिन के हिसाब से अनुमति दिया गया है। प्रस्तावित परियोजना में कोई दूषित जल बाहर नहीं जायेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से फिल्टर किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 06 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 04 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 6:00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(ए.के.गेडाम)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.के. कटारा)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)